न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 10/2024

बउनवान

जानकीलाल पुत्र चतुर्भुज आयु 68 वर्ष, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बिजोरा, तहसील अन्ता, जिला बारां, राज0

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 05.07.2024

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 02.02.2024 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम बिजौरा तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 452,453,446 रकबा 3.06 है., किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 1530/– रूपये अर्थदण्ड एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुनवायी जवाबदेही का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है तथा संपूर्ण जुर्माना राशि भी जमा करा दी है तथा भूमि रिक्त पड़ी हुई है, अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये अपीलांट को सजायाब कर त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 02.02.2024 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार को बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने फर्द के साथ मौका रिपोर्ट दिनांक 07.05.2024 एवं मौका पर्चा दिनांक 31.05.2024 की प्रमाणित प्रतियां पेश कर अपील में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.07.29 10:29:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को गलत तथ्यों के आधार पर सजायाब किया गया है अपीलांट के विरूद्ध 3.06 है. रकबे पर अतिक्रमण करने की कार्यवाही की गई है जबकि मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलांट का अतिक्रमित रकबा 0.82 है., जो वर्तमान में खाली है कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट द्वारा आरोपित जुर्माना भी जमा करवा दिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय खारिज फरमाया जावे।

दौराने पेरोकार सरकार ने अभिभाषक अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर संवत 2077 में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 77/20 निर्णय दिनांक 18.03.2020 से बेदखल किया गया है। अपीलांट स्वंय ने अपील में अंकित किया है कि "अपीलांट द्वारा उक्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है तथा संपूर्ण जुर्माना राशि भी जमा करा दी है"। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने स्वंय अपील में अंकित किया है कि "अपीलांट द्वारा उक्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है तथा संपूर्ण जुर्माना राशि भी जमा करा दी है" तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 453 रकबा 0.20 है0 किस्म चारागाह ग्राम बिजौरा पर सम्वत् 2077 में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 77/20 में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2020 से बेदखल किया जाना हल्का पटवारी के बयान एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 69/2024 में पारित आदेश दिनांक 02.02.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.07.29 10:29:18 IST
Reason: SelfAttested